BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 40,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शिवम पुत्र नरेन्द्र निवासी मौ0 साठा इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक लडकी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 179/2021 धारा- 452/354क भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.05.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.08.2024 को न्यायाधीश श्री शिवानंद (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शिवम को 04 वर्ष का कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर